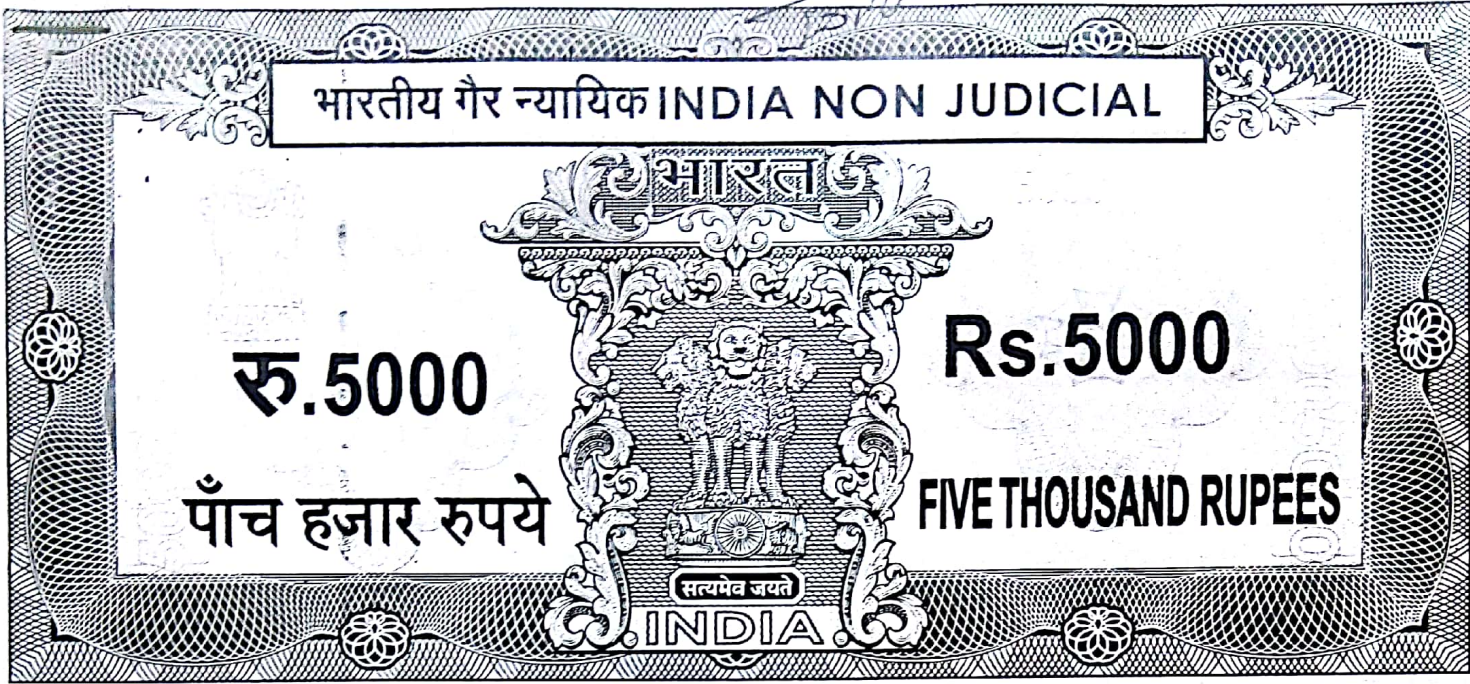


741

6523



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 852055 CG 852055



॥ श्रीहरिः ॥

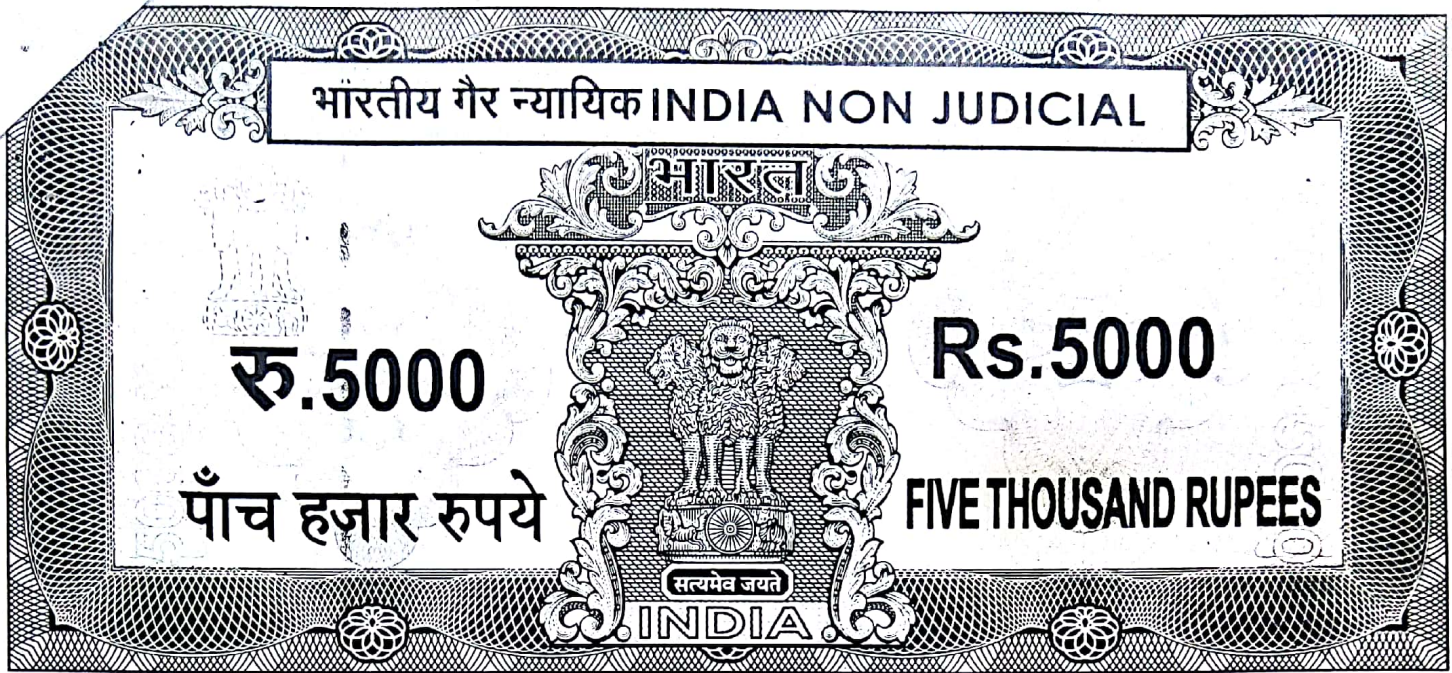
1. भूमि का प्रकार : आवासीय भूखण्ड
2. मौहल्ला/ग्राम : बैनामा भूखण्ड स्थित मौजा सुनरख बांगर अन्दरून सरस्वती बिहार कालौनी, तहसील व जिला मथुरा नगर पालिका सीमा के बाहर
3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) : भूखण्ड, जो खसरा नं०-984 की भूमि में स्थित है,
4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर,
5. सड़क की स्थिति : 6 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है

मीराट्टी वी



Durga





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 852056

CG 852056

(2)

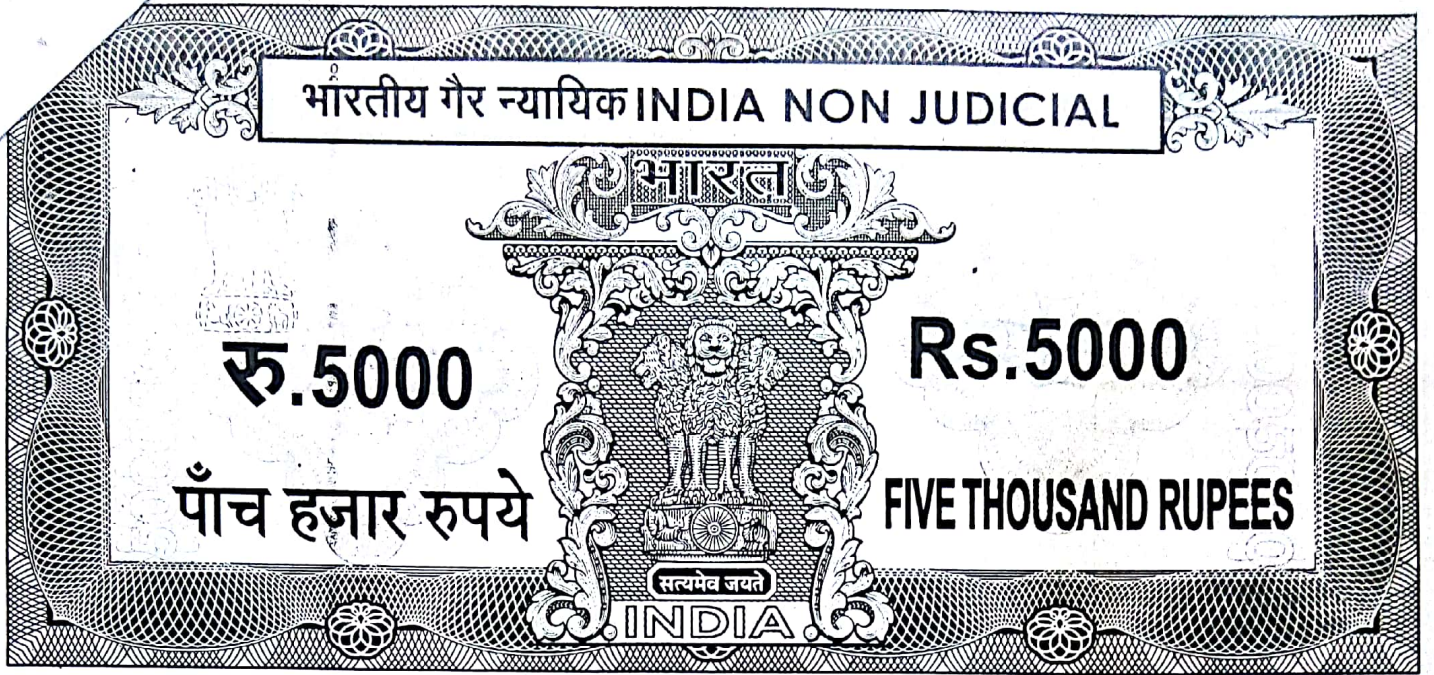
6. प्रतिफल की धनराशि : 5,50,000/-रु.,
7. सरकारी मालियत : 5,50,000/-रु.,
8. देय स्टाम्प -38,500/-रु.
9. उक्त क्षेत्र की जमीनों का सरकारी रेट -6500/-रुपया प्रति वर्ग मीटर है, जो रेट लिस्ट में पेज नं0-19 क्रमांक 392 कोड नं0-0128 पर दर्ज है, कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा।

मीशरू वी



[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 852057 CG 852057

(3)

प्रथम पक्ष विक्रेता

श्रीमती मीरा देवी शुक्ल पत्नी श्री रोहिणी प्रसाद शुक्ल निवासी-गौरा नगर कालौनी,
वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा मो0-7217516610

द्वितीय पक्ष क्रेता

पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णु प्रसाद
अग्रवाल निवासी-सेवाकुंज, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा मो0-9690399711

मीरा देवी



[Signature]



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 852058

CG 852058

(4)

जो कि एक किता भूखण्ड, पैमाईशी पूरब से पश्चिम-60 फीट, उत्तर से दक्षिण-15 फीट, क्षेत्रफल 100 वर्गगज बराबर 83.61 वर्गमीटर, जिसकी सीमा यह है-

पूरब- रास्ता 15 फीट

पश्चिम- जमीन क्रेता

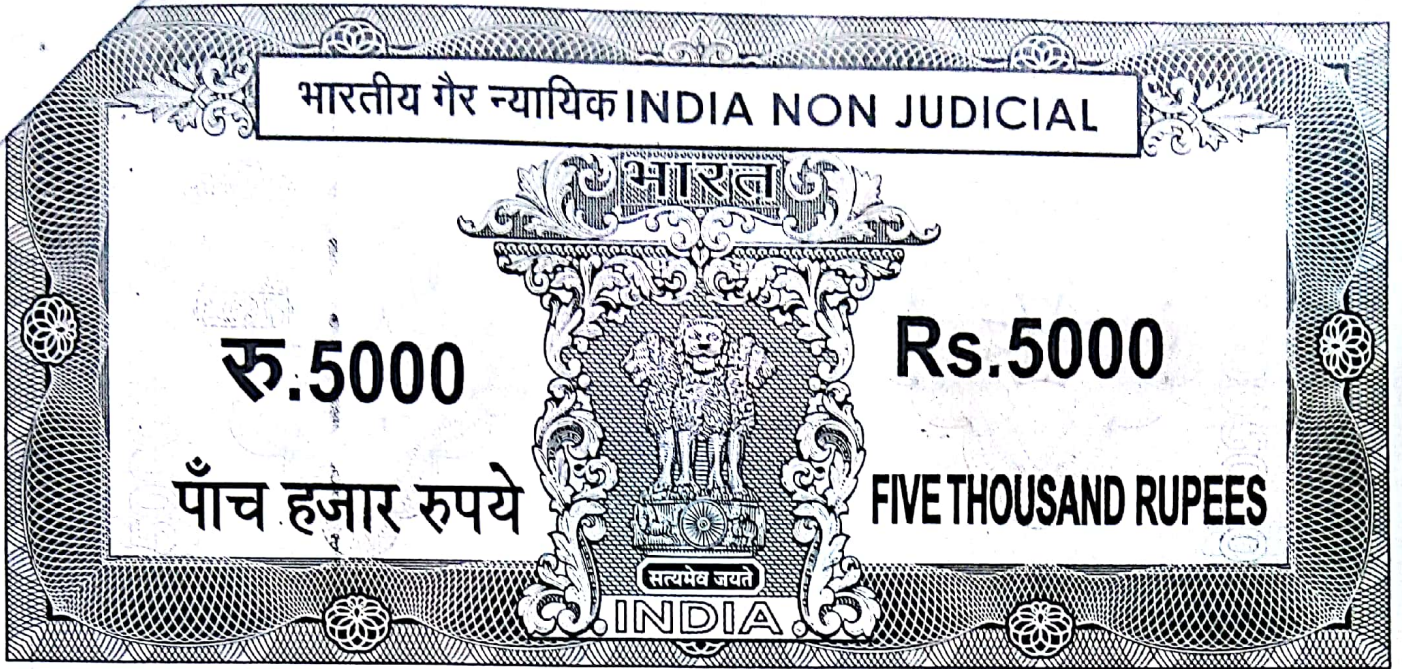
उत्तर- जमीन क्रेता

दक्षिण- जमीन क्रेता

स्थित-मौजा सुनरख बांगर अन्दरून सरस्वती बिहार कालौनी, तहसील व जिला मथुरा जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है जो खसरा नं0-984 की भूमि में स्थित है, मिलिक्यत प्रथम पक्ष की है जिस जमीन को प्रथम पक्ष ने अन्य जमीन सहित बजरिये बैनामा दिनांक 05.03.1991 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 312 पृष्ठ 307-322 नं0-1617 पर हुयी है, बाबू सिंह पुत्र श्री भीम सिंह से मनोज कुमार चतुर्वेदी व सुनील कुमार के साथ मिलकर खरीद किया, जिसमें से मनोज चतुर्वेदी व सुनील कुमार अपने हिस्से की जमीन विक्रय कर चुके हैं शेष जमीन व वर्णित प्लॉट जमीन प्रथम पक्ष के हिस्से व कुरे की भूमि में से है। जिस पर प्रथम पक्ष का ही वास्तविक मालिकाना कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज है, सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त भूखण्ड का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और उक्त भूखण्ड किसी जगह रहन व गिरवी आदि नहीं है और ना ही किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है और ना ही उक्त सम्पत्ति की बाबत कोई वाद किसी न्यायालय में

श्री राहु जी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 852059

CG 852059

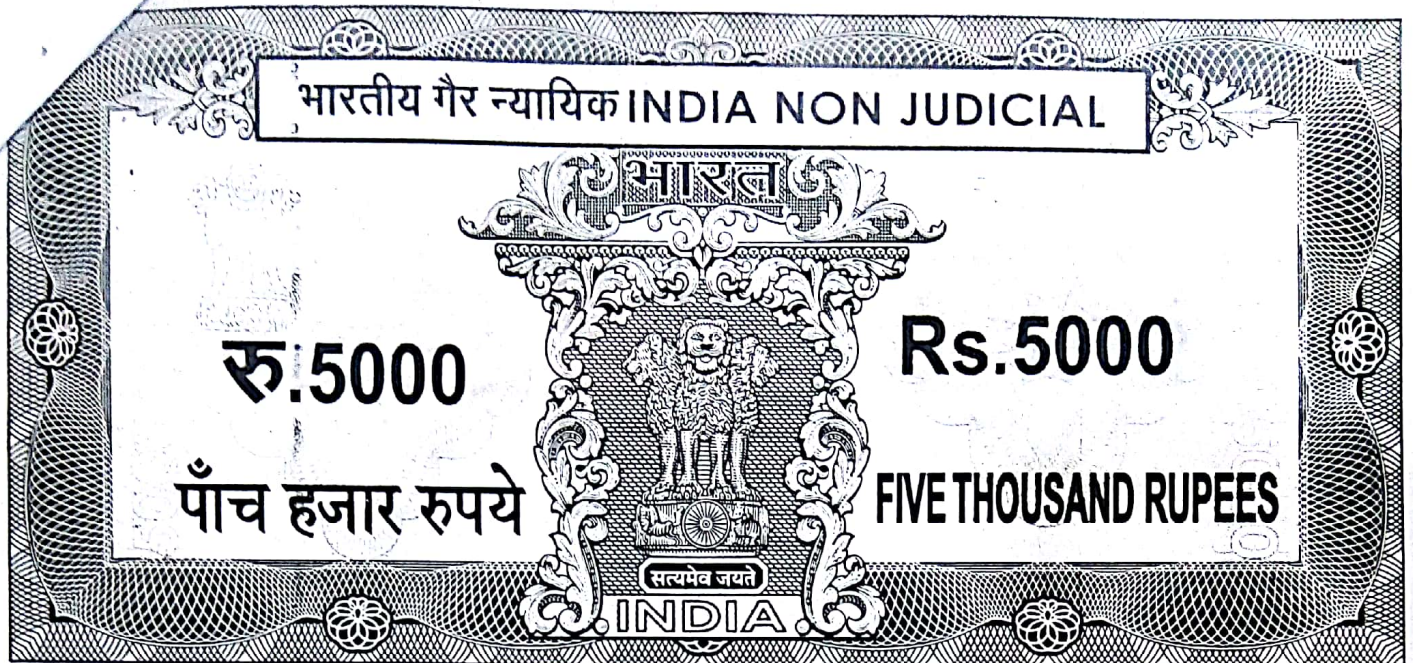
(5)

विचाराधीन है तथा प्रथम पक्ष को उक्त भूखण्ड की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है। उक्त भूखण्ड हर प्रकार के झगड़े-झंझट व कर्जे आदि से پاک साफ, तन्हा प्रथम पक्ष की ही सम्पत्ति है और उक्त भूखण्ड की बाबत प्रथमपक्ष ने कोई इकरारनामा पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के साथ तय नहीं किया है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो उक्त भूखण्ड के हस्तान्तरण करने में बाधा या रुकावट डाल सके। उक्त भूखण्ड से कोई खास लाभ व आय प्रथम पक्ष को नहीं है व अपनी जरूरतों के लिये प्रथमपक्ष को धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड को बेच देना तय किया है द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है। इसी कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

श्री राहु जी

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 851283

CG 851283

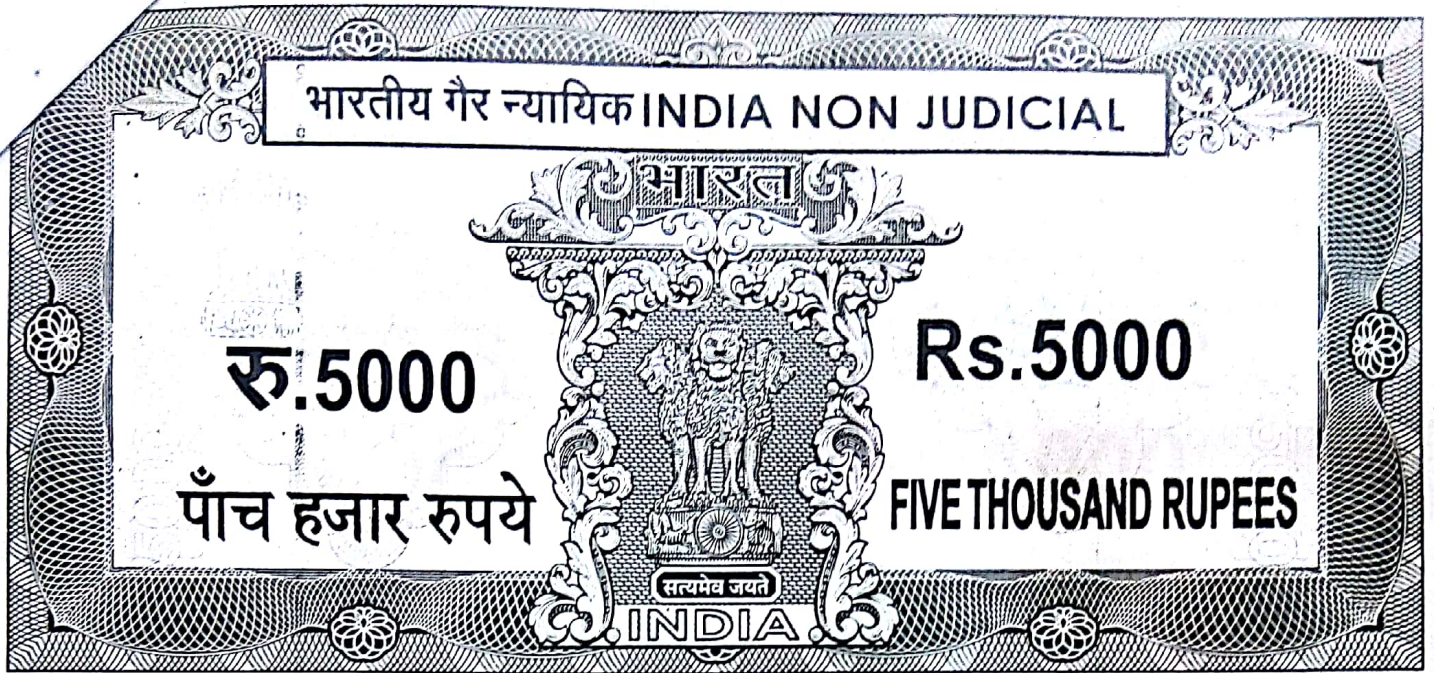
(6)

चुनांचि उक्त भूखण्ड को समस्त हक हकूक अधिकारों व सुखाधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हों यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक के मय राईट्स व इन्ट्रेस्ट व टाईटिल के वखुशी वराजी अपने वऐवज 5,50,000/-रु. (पांच लाख पचास हजार रुपया) कि जिनके आधे 2,75,000/-रु. (दो लाख पिच्चहत्तर हजार रुपया) होते हैं, बदस्त पिंग सिटी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल निवासी-सेवाकुंज, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में बेच दिया और कीमत का कुल रुपया

श्री राई वी

अग्रवाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 851284

(7)

प्रथमपक्ष ने द्वितीय पक्ष से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर कीमत का कुल रूपया प्राप्ति स्वीकार कर प्रथमपक्ष ने कब्जा व दखल बेचे गये खाली भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष क्रय किये गये भूखण्ड के आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गए। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और अपना नामान्तरण सरकारी कागजात आदि में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और निर्माण करे बंधक करे और जो चाहे सो करे। अब बेचे गये उक्त भूखण्ड में प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा

श्री राहु जी



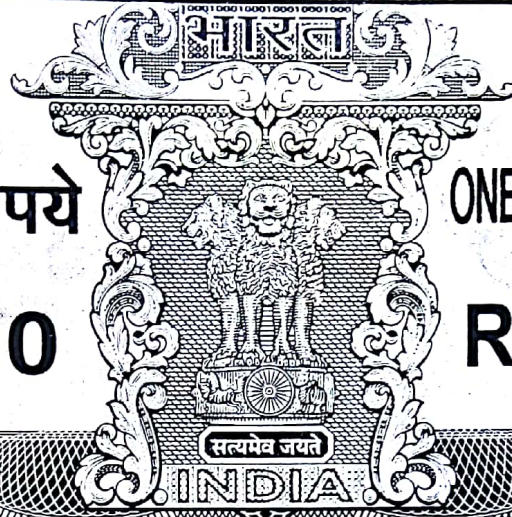
भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 355410

05 JUN 2018

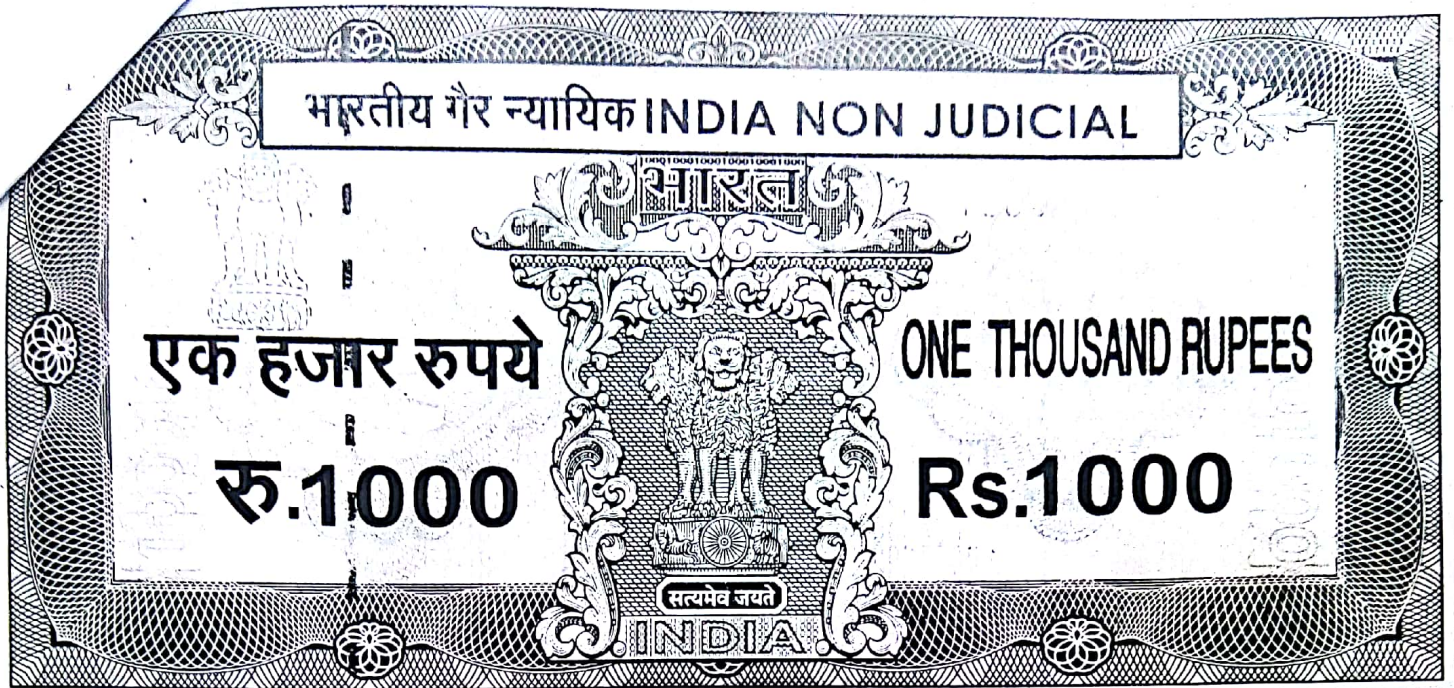
(8)

व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति बेचे गये भूखण्ड की बाबत दावा, झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष क्रेता से निकल जावे या कहीं रहन आदि निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े तो प्रथम पक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपनी कीमत का दिया गया रुपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रुपयों को मय सूद के प्रथम पक्ष व उसकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाब्ता बजरिये अदालत प्राप्त कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। बेचा गया भूखण्ड आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। क्रेता विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया गया भूखण्ड को फोटो इस प्रलेख के साथ चस्पा किया जा रहा है। स्टम्प खर्च फीस आदि समस्त खर्चा बैनामा क्रेता ने वहन किया है।

सी. राहु जी

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 355411

05 JUN 2018

(9)

विवरण कीमत का कुल रुपया प्राप्ति का :-

कीमत का कुल रुपया द्वितीयपक्ष ने चैक नं०-000898 तादादी 3,00,000/-रुपये दिनांक 05.09.2016 व चैक नं०-001463 तादादी 2,50,000/-रुपये दिनांक 11.04.2018 दोनों एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेता व उनकी सहमति से उनके पति रोहिणी प्रसाद शुक्ल के खाते में जमा हो गया है, इस प्रकार कुल मीजान-5,50,000/-रुपया प्राप्त कर लिया है।

मी शर्देवी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 355412

(10)

इसलिए यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के

मीरा देवी



भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 814966

(11)

निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ा व सुना कर, ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 07.06.2018

टाईप किया : दीपक, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : सोहनलाल शर्मा एडवोकेट, मथुरा।

मीराहूबी



गवाह-रोहिणी प्रसाद शुक्ल पुत्र सीताराम शुक्ल
नि0-गौरानगर, वृन्दावन मो0-7217516610

श्रीहरीप्रसाद

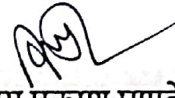
गवाह-विक्रम सिंह पुत्र गोपाल सिंह
नि0-अहीरपाड़ा वृन्दावन मो0-9412470280

Signature of the witness.



बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8851 के पृष्ठ 77 से 100 तक
क्रमांक 6523 पर दिनांक 08/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

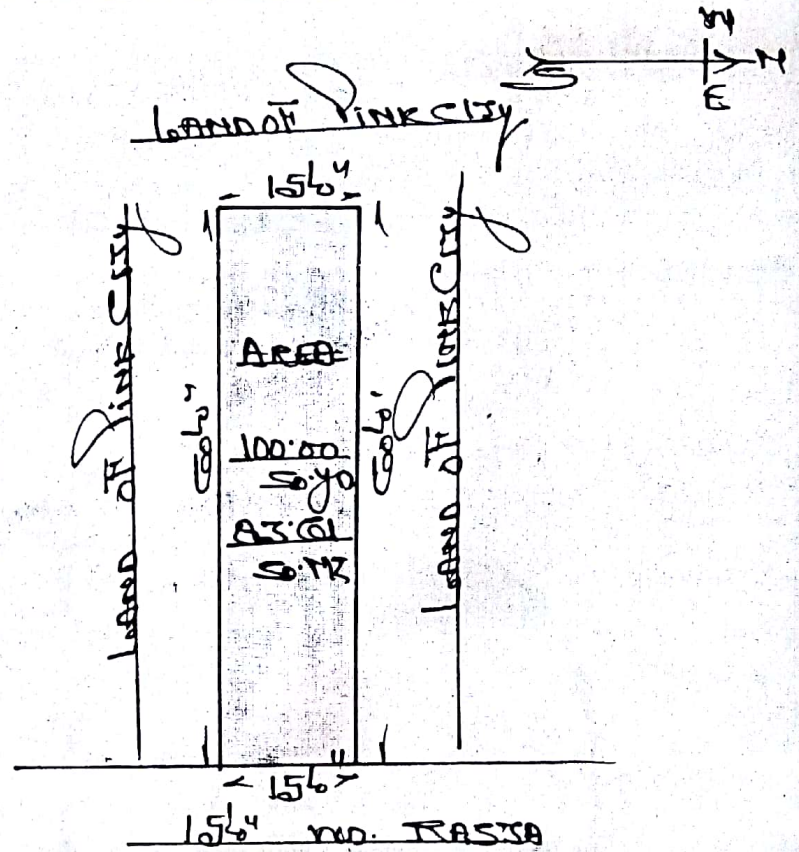

विजय प्रकाश पाण्डेय
उप निबंधक ; सदर द्वितीय
मथुरा

संख्या 26
दिनांक 21/06/2018


मोहन लाल
रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा


08 JUN 2018

SITE PLAN OF THE Plot LAND KHASRA No. 984
 SITUATED AT SARASWATI VIHAR Colony MAUZA
 SUNBACH BANGAR TEH. & DIST. MATHURA
 OWNER - SRI. MEERATI SURAL W/O SRI KOTAM
 PRASAD - RD SAURINAGAR / ROADABAN.



मीरा देवी

Trace By
 I/L. CHATURVEDI
 I/MAN. MATHURA
 7-6-2018